From-I
(for linear projects
Office of the District Collector
Kangra at Dharmshala

No. 5455 /DRA Dated: 09-10 , 2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF),Govt.of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3rd August,2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights)Act,2006 (FRA,for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dt 5th Feburary 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **01-39-53 Hectares** situated in Mohal Ban Chlan, Sunhet, Tehsil Dehra Distt. Kangra, of forest land proposed to be diverted in favour of Himachal Pradesh Public works Department Division Dehra for construction of link Road from Jhurni Mod to Nangal via Sunehat Jabbre KM 0/0 to 3/056 in the state of H.P in Tehsil Dehra falls within jurisdiction of Dehra Forest Division.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **01-39-53** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Divisional Level Committee(s) and the District Committee are enclosed as annexure I to __. As per report received from Gram Panchyat, Seul, Guraldhar, and SDO (C) Dehra there are no claims pending under them from anyone as per Scheduled Tribes and forest dwellers act 2006.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized right of primitive Tribal group and pre agriculture communities.

09/10/18
District Collector
Kangra at Dharamshala

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT KANGRA (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Disstrict Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights)Act (FRA), 2006.

A meeting of the Disstrict Level Committee of Kangra District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shri Sandeep Kumar, I.A.S, Deputy commissioner, Kangra on 25-09-2018 at 3.00 PM at Dharamshala in which the applications of the applicants of Seul & Guraldhar Gram Sabhas, claiming rights in 1-39-53 hectare forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee, Dehra, were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted :-

S.No	Name of Applicant*	Name of Forest	Details of forest right

______________ No claim filed by anyone______

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected :- (Not applicable)

S.No	Name of Applicant*	Name of Forest	Details of forest right

OR

As informed by SDO (Civil) Dehra, no application was received from Seul & Guraldhar Gram Sabhas claiming rights in 1-39-53 hectare forest area.

Place : Dharamshala

No : 5454 /DRA Dated : 09-10-2018

Sd/- 09/10/18
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Forest Rights Committee

***Name of the local people who have aplied for admission of rights in the said forest area.**

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

दिनांक 25.9.2018 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 के अन्तर्गत प्राप्त मामलों में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही

जिला स्तरीय समिति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 की बैठक दिनांक 25–9–2018 को श्री संदीप कुमार, भा0 प्र0 से0 उपायुक्त कांगड़ा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गठित समिति के सरकारी व गैर सरकारी निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1 श्री मस्त राम भारद्वाज, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला	सदस्य
2. श्री संजीव कुमार, जिला राजस्व अधिकारी	सदस्य
3. श्री प्रदीप भारद्वाज वन मण्डल अधिकारी धर्मशाला	सदस्य
4 मदन लाल शर्मा, ए0सी0एफ0 देहरा	सदस्य
5 श्रीमति बासू कौशल ए0सी0एफ0, नूरपुर	सदस्य
6 श्री रविन्द्र कुमार आर0ओ0 बैजनाथ	सदस्य
7 श्रीमति गायत्री कपूर (जिला परिषद)	सदस्य

सर्वप्रथम उपायुक्त महोदय ने बैठक में उपस्थित समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया। तथा उसके पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की । वैठक में निम्नलिखित प्रोजैक्ट व लोक निर्माण विभाग से विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतू उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी किये जाने बारे उपमण्डल स्तरीय कमेटी जयसिंहपुर, ज्वालामुखी, देहरा, नूरपुर, नगरोटा बगवां व बैजनाथ से मामले प्राप्त हुए हैं ।

1. उपमण्डल अधिकारी (ना0) जयसिंहपुर ने ग्राम सभा कूहण, लाहडू, बालकरूपी, आलमपुर, जांगल द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात धौलासिध हाइड्रो प्रोजैक्ट 66 M.W. तहसील जयसिंहपुर के निर्माण हेतू मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।
2. उपमण्डल अधिकारी (ना0) ज्वालामुखी ने ग्राम सभा टिप्परी द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात धौलासिध हाइड्रो प्रोजैक्ट 66 M.W. तहसील ज्वालामुखी के निर्माण हेतू मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।
3. उपमण्डल अधिकारी (ना0) ज्वालामुखी ने ग्राम सभा दरीण, लुथान, सिल्ह, कोपडा, हिरण द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात Main Head Works, Tanks and Distribution System तहसील ज्वालामुखी के निर्माण हेतु मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

4. उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा ने ग्राम सभा घमरूर व बारी द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात लिंक रोड बढल से धिमान बस्ती वाया बुहाला तहसील देहरा के निर्माण हेतु मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

5. उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा ने ग्राम सभा सिऊल व गुरलधार द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात लिंक रोड झुरनी मोड से नंगल वाया सुनेहत तहसील देहरा के निर्माण हेतु मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

6. उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा ने ग्राम सभा बठरा, चपलाह, राडी–कोडी तथा टिप्परी द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात लिंक रोड रोडी कोडी से टिपरी तहसील देहरा के निर्माण हेतु मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

7. उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा ने ग्राम सभा धार तथा धंगड द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात लिंक रोड धार से धंगड वाया लून्सू तहसील देहरा के निर्माण हेतु मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

8. उपमण्डल अधिकारी (ना0) नगरोटा बगवां ने ग्राम सभा मसल, औचा, घोडव, भदरेहड, उपरली कोठी, मूमता, कोठी झिकली, गुगलाहड, फकेट लाहड, बडोता, जखनेहड, पलाखरू, खास सरोत्री, तथा भलूणा द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात नगरोटा बगवां–रानीताल–मुवारिकपुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग–20A के निर्माण हेतू मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

9. उपमण्डल अधिकारी (ना0) नूरपुर ने ग्राम सभा लगोड गेही द्वारा पारित प्रस्ताव व वन अधिकार समिति की सिफारिश का गहराई से अवलोकन करके पूर्ण छानबीन उपरान्त उपमण्डल स्तर की बैठक में यह पाया गया कि इस में लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा (Claim) नहीं है अथवा कोई अधिकार निहित नहीं है। ततपश्चात Way Side Amenities and Hotel and Restaurant के निर्माण हेतू मामला जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

बैठक में प्रस्तुत उपरोक्त समस्त मामलों को ध्यानपूर्वक देखा गया। उपमण्डल स्तरीय समिति से प्राप्त बैठक की कार्यवाही से पाया गया कि उपरोक्त मामलों में किसी समुदाय या व्यक्ति द्वारा कोई दावा पेश नही किया गया है तथा कमेटी के किसी भी सदस्य द्वारा कोई एतराज नहीं जताया गया। अतः समस्त मामले जिला स्तर की बैठक में पारित कर दिये गये हैं जिस बारे प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाऐगें।

इसके अतिरिक्त उपमण्डल अधिकारी ना0 वैजनाथ से निम्नलिखित मामले प्राप्त हुए हैं जिनको कुछ त्रृटियों के कारण पुनः अवलोकनार्थ वापिस किया गया तथा इस बारे सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (ना0) से चर्चा के उपरांत इन मामलों को पुनः अगली जिला स्तरीय बैठक में प्रस्तुत किया जाएगाः—

क आर्यन संसाल हाईड्रो प्रोजैक्ट (SHEP) 1 MW.
ख करोट नैन हाईड्रो प्रोजैक्ट (SHEP) 1 MW.

तत्पश्चात उपायुक्त महोदय ने समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करके बैठक को समाप्त कर दिया ।

स्थान——धर्मशाला

दिनांक 2018

संदीप कुमार, भा0प्र0से0
उपायुक्त कांगड़ा एंव अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति

पृष्ठांकन संख्या 5452-59 /डी0आर0ए0 दिनांक 09 अक्तूबर 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित हैः—
1 अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कांगडा स्थित धर्मशाला।
2 वन मण्डल अधिकारी धर्मशाला, नूरपुर,देहरा एवं पालमपुर।
3 वन मण्डल अधिकारी (वन संरक्षण) हमीरपुर।
4 श्री गगन सिंह गौरा गांव वंगार डा0 वोह तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा।
5 श्री मति गायत्री कपूर (जिला परिषद) धौलाधार क्लोनी सी—41 पोस्ट ऑफिस दाडी लोहर वडोल तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा।
6 श्री मति अनिता देवी गांव व डा0 चचियां तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा।

09/10/18

संदीप कुमार, भा0प्र0से0
उपायुक्त कांगड़ा एंव अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति

103 366

Annexure-III

OFFICE OF THE SDO CIVIL), Dehra
DISTRICT Kangra (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006 .

A meeting of the Sub-Division level Committee of 9-07-2018 Sub-Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr/ Ms. D.S. Thakur, SDO(Civil) Dehra on 9.7.2018 at 11-00 AM/PM at Dehra (Place) in which the application(s) of the applicant(s) of Seul Gram Sabha, claiming rights in NIL forest area(s) under FRA,2006, duly processed and recommended by the Chintpurni Talwara Road to Nangal Sunehat Jalsre Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee :-

S.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.		-NIL-	
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.		NIL	
2.			

OR

As informed by Seul Gram Sabha, no application was received claiming rights in ______ forest area.

Place: Dehra

Date

SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson

Sub Divisional Officer (Civil) Dehra (H.P.)

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

103

366

Annexure-III

OFFICE OF THE SDO CIVIL), Dehra
DISTRICT Kangra (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006 .

A meeting of the Sub-Division level Committee of 9-7-2018 Sub-Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr/ Ms. Dhanbir Singh Dahar SDO(Civil) Dehra on 9.7.2018 at 11.00 AM/PM at Dehra (Place) in which the application(s) of the applicant(s) of Goral Dhar Gram Sabha, claiming rights in Nil forest area(s) under FRA,2006, duly processed and recommended by the Chintpurni Talwara To Nangal Via Synchit Jasre Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee :-

S.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.		-Nil-	
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.		-Nil-	
2.			

OR

As informed by Goral Dhar Gram Sabha, no application was received claiming rights in ______ forest area.

Place: Dehra

Date ______

SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson

Sub Divisional Officer (Civil) Dehra (H.P)

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

(101)

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा स्थूल

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 15 .... दिनांक..................

वन अधिकार समिति ग्राम सभा स्थूल की बैठक आज दिनांक 08/1/2018 को 12:00 बजे, स्थान ग्राम पंचायत स्थूल में श्री/श्रीमति प्रधान मुकेश उपाध्याय की अध्यक्षता में की गई जिसमें वनचलों गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन चलों जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HPPWD विभाग द्वारा चिन्तपूर्णी तलवाड़ा रोड़ (झुरनी मोड़ सेवला नगरोटा सूरियां) निर्माण के लिए 1-04-63 हैक्टेयर 13R53 पर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :–

क0स0	* पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	—	वनचलों	कोई दावा पेश नहीं हुआ

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारि,श करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:–

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	—

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

वनचलों जंगल/वन क्षेत्र मे कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नही हुआ।

स्थान स्थूल

दिनांक 08/1/2018

(हस्ताक्षर) पंचायत सचिव ग्राम पंचायत स्थूल विकास खण्ड प्रागपुर जिला कांगड़ा हि.प्र

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा..........

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने ... में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

C/o Chintpurni Telwar Road (Jhurni mod to Nayalsanket ...)

(मोहर: ग्राम पंचायत स्थूल, वि.ख. प्रागपुर, जि. कांगड़ा)

हस्ताक्षर Mukesh ...

दिनांक..........

(हस्ताक्षर)

102

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा स्थूल
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 08/01/2018

ग्राम सभा स्थूल की बैठक आज दिनांक 08/01/2018 को 2:00 बजे, स्थान स्थूल में श्री/श्रीमति प्रधान श्री [illegible] की अध्यक्षता में की गई जिसमें वनस्थली गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनस्थली जंगल/वन क्षेत्र मे (जिसमें HPPWD विभाग द्वारा चिन्तपूर्णी तलवाड़ा रोड़ से [illegible] का निर्माण के लिए 1-04-63 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का [illegible]
1.			
2.	—	वनस्थली	कोई दावा पेश नहीं हुआ

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावो को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया:-

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	—

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावो को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार वनस्थली जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी इन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान स्थूल
दिनांक 08/1/2018

अधीकृत अधिकारी
ग्राम सभा

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत स्थूल
विकास खण्ड प्रागपुर
जिला कांगड़ा हि.प्र

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने [illegible] जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

C/o Chintpurni Talwara Road (Jhumi Mod to Jankhet [illegible])

हस्ताक्षर Mukesh [illegible]
दिनांक

105

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2005

ग्राम सभा........ स्यूल ....

विकास खण्ड........ प्रागपुर ....जिला........ कांगड़ा ....(हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 8/1/2018

गणपूर्ति........ 226/375 ....

प्रस्ताव संख्या........ 15

विषयः........ HPPWD ....विभाग/संस्था को चिन्तपुरनी तलवाड़ा रोड़ (मुरनी मोड़ से नंगल वाया मुनहेल जावेर सड़क के निर्माण हेतु........ वन चला तथा मुनहेल वन चला........ जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित........ 1-39-53 ....हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा........ स्यूल .... की बैठक आज दिनांक 08/01/2018 को........ 2:00 PM ....बजे, स्थान........ स्यूल .... में की गई, जिसमें........ HPPWD ....विभाग/संस्था को चिन्तपुरनी तलवाड़ा रोड़ (मुरनी मोड़ से नंगल वाया मुनहेल जावेर के निर्माण हेतु........ वन चला तथा मोहाल मुनहेल ....जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित........ 1-39-53 है. ....हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारो के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित........ 1-39-53 ....हैक्टेयर वन भूमि को चिन्तपुरनी तलवाड़ा रोड़ (मुरनी मोड़ से नंगल वाया मुनहेल निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा........ स्यूल .... की सहमति दी जाती है।

स्थान........ स्यूल ....

दिनांक........ 08/1/2018 ....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा........
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत स्यूल
विकास खण्ड प्रागपुर
जिला कांगड़ा हि.प्र

प्रधान ग्राम पंचायत स्यूल
वि.ख. प्रागपुर, जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर........ Mukesh ku ....
दिनांक........

(101)

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

वन अधिकार समिति गोरालघार

ग्राम सभा गोरालघार

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 04/01/18

वन अधिकार समिति ग्राम सभा गोरालघार की बैठक आज दिनांक 04/01/18 को 12:00 बजे, स्थान ग्राम पंचायत गोरालघार में श्री/श्रीमति सुनहेल उपप्रधान वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में की गई जिसमें सुनहेल गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सुनहेल जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HPPWD विभाग द्वारा ** के निर्माण के लिए 0.3490 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०स०	* पात्र ग्रांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.			
2.	—	सुनहेल	कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसकी सिफारि,श करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया:-

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	—

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

सुनहेल जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान गोरालघार

दिनांक 04/01/18

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होनें इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

C/o Link Road from Jhumi Mod to Nangal Sunhet

हस्ताक्षर

दिनांक

प्रधान वन समिति
सुनहेल जोगिन्दर
ग्राम पंचायत गोरालघार

102

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा ओरियाल चार

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 03 ....

दिनांक 04/01/18

ग्राम सभा ओरियाल चार की बैठक आज दिनांक 04/01/18 को 3-00 बजे, स्थान ओरियाल चार में श्री/श्रीमति प्रधान उत्तम चन्द की अध्यक्षता में की गई जिसमें सुन्हेत गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सुन्हेत जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HPPWD विभाग द्वारा *[illegible]* के निर्माण के लिए 0.34-98/1-39-53 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का [illegible]
1.	—	सुन्हेत	कोई दावा पेश नहीं हुआ
2.			

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया:-

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार सुन्हेत जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान ओरियाल चार

दिनांक 04/01/18

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा ....

प्रधान ग्राम पंचायत

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

C/O Chintpurni Talwara Road Jurni Mod to Nangal via Sanket Jabru

** प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

स्ताक्षर

दिनांक

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा........ गौरालचार

विकास खण्ड........नगरोटा............,जिला......कांगड़ा...............(हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....04/01/18

गणपूर्ति.......234......./.....450.............

प्रस्ताव संख्या...................

विषयः..........HPPWD..........विभाग/संस्था को चित्तपुरनी तलवाड़ा रोड (सुरणी मोड़) से नंगल वापा कुन्हैत जवारी रोड के निर्माण हेतू...... वन चला तथा कुन्हैत..................जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित........1-39-53.................हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा ....गौरालचार.................की बैठक आज दिनांक....04/01/18..........को.....3-00 Pm............बजे, स्थान..........गौरालचार..................में की गई, जिसमें.........HPPWD...........विभाग/संस्था को ....चित्तपुरनी तलवाड़ा रोड (सुरणी मोड़) से.........के निर्माण हेतू....वन चला तथा गौराल कुन्हैत.........जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित.....नंगल वापा कुन्हैत जवारी.....1-39-534...हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित.....1-39-53.......हैक्टेयर वन भूमि को....चित्तपुरनी तलवाड़ा रोड (सुरणी मोड़) से नंगल वापा कुन्हैत......निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा.........गौरालचार............की सहमति दी जाती है।

स्थान......गौरालचार.............

दिनांक......04/01/18.............

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा......

(stamp) ...कांगड़ा (हि०प्र०)

(seal)

हस्ताक्षर

दिनांक..........